



UPM0010071672026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-11, मुरादाबाद

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0-2197/2026

दीपक गिरी पुत्र राजू उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी एकता कालोनी निकट वोडाफोन टावर
मंडी समिति के पीछे थाना मझोला जिला मुरादाबाद।

-----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य

-----अभियोजन/विपक्षी

अपराध सं.- 538/2026,

धारा-191(2), 109(1), 351(3) भा0 द 0 सं0

थाना- मझोला, जनपद-मुरादाबाद,

आदेश

दिनांक:-22.07.2026

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। दौरान सुनवाई
प्रार्थी/अभियुक्त दीपक गिरी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का
कथन किया गया और इस बावत प्रार्थना पत्र के हांशिये पर "Not Pressed" का पृष्ठांकन अंकित
किया गया।

सुना। चूंकि स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र पर Not Pressed का
पृष्ठांकन किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल नहीं दिये
जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-22.07.2026

(घनेन्द्र कुमार)

(I.D.No. UP 1664)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-11, मुरादाबाद।